भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 356

दिनांक 19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत प्रगति

356. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री हेमन्त पाटिलः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एसः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के शुरू होने से लेकर अब तक इस पर सरकार द्वारा की गई प्रगति और उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) आधुनिकीकरण और अद्यतन किए गए भूमि अभिलेखों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन-सी समस्याओं का सामना किया जा रहा है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में डीआईएलआरएमपी की प्रगति धीमी रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान देशभर में सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण के लिए डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत राज्य-वार और घटक-वार प्रगति निम्नानुसार हैः-

(i) भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा (90 प्रतिशत से अधिक) किया गया है और 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई है।

(ii) भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा (90 प्रतिशत से अधिक) किया गया है और 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई है।

(iii) रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण (एसआरओ) 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा (90 प्रतिशत से अधिक) किया गया है और 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई है।

(iv) राजस्व कार्यालयों के साथ उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों का समेकन 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा (90 प्रतिशत से अधिक) किया गया है और 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई है।

(ग) और (घ): यह कार्यक्रम मांग आधारित है और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन की गति पर निर्भर है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन जटिल, संवेदनशील और वृहत है जिसमें बोझिल और अधिक समय लेने वाली प्रक्रियाएं शामिल है। इस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के समापन की संपूर्ण अवधि अन्य कार्यक्रमों की तुलना में अपेक्षाकृत लंबी है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रियाओं और उनके समेकन के अंतर्गत ठोस प्रगति हुई है। कुछ राज्यों में, जैसे अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में प्रगति इस तथ्य के कारण अपेक्षाकृत धीमी है कि भूमि समुदायों के स्वामित्व में है और राज्य सरकारों के पास कंप्यूटरीकरण के लिए भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियों कॉन्फ्रेंसिस और फील्ड में वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों आदि के माध्यम से प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है।

(ड.) सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (13.11.2019 तक)
सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के लिए जारी निधियां **(लाख रु. में)**	6680.68	4091	शून्य	शून्य

(च) यह कार्यक्रम मांग आधारित है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन की गति, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर है।

*****